दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 08.01.2015 की कार्यवृत्त

समय : अपराह्न 3–30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	सदस्य
4.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
6.	डॉ0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसीराम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
10.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
12.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री जनार्दन प्रसाद राय भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 एम0सी0 गुप्ता, आर्चा–वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 फिरतूराम, आचार्य–भूगोल विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 रामहित त्रिपाठी, प्राचार्य, पं0 महादेव शुक्ल कृषक पी0जी0 कालेज, गौर, बस्ती, डॉ0 अजय सिंह, उपाचार्य–प्राणिविज्ञान विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्रवक्ता– प्रा0 इतिहास विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो0 पी0सी0 शुक्ल, अधिष्ठता– वाणिज्य संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 ए0के0 सिंह, आचार्य–दर्शनशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा, आचार्य– गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 अनुराग द्विवेदी, प्रवक्ता– समाजशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा डॉ0 वेद

प्रकाश मिश्र, उपाचार्य– समाजशास्त्र विभाग, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया –

बिन्दु नं0 1 (क) कार्य परिषद् ने सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 एवं 2014–15 की सम्बद्धता पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रथमतः सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 की सम्बद्धता न होने के कारण सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 में भी विश्वविद्यालय के पत्रों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश न लिये जाने के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय से बिना सम्बद्धता, पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त किये प्रवेश लेने के कारण भविष्य में इस महाविद्यालय को कम्प्यूटर साइंस विषय में सम्बद्धता प्रदान न की जाय।

महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता, मान्यता व परीक्षा कराने के सम्बन्ध में गलत सूचना देने तथा विश्वविद्यालय के निर्देशों का बार–बार उपेक्षा करने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य व सचिव को कड़ी चेतावनी दी जाय कि भविष्य में इस तरह के कृत्य न किये जॉय। साथ ही छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का फीस महाविद्यालय वापस कर दें।

बिन्दु नं0 1 (ख) – कार्य परिषद् ने डॉ0 राजवीर सिंह, इन्स्ट्रक्टर, क्रीड़ा परिषद्, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को प्रवक्ता पद नाम एवं वेतनमान दिये जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत कन्टेम्पट अप्लीकेशन (सिविल) नं0 2955/2014 दिनांक 13.05.2014 में पारित आदेश एवं शासन के पत्र संख्या 1017/सत्तर–4–2014 दिनांक 19.12.2014 द्वारा प्राप्त निर्देश पर विचार ~~विचार~~ किया।

कार्य परिषद् ने शासन से प्राप्त मार्गदर्शन/निर्देश से अवगत होते हुए सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि डॉ0 राजवीर सिंह, इन्स्ट्रक्टर, क्रीड़ा परिषद्, दी0द0उ0 गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को प्रवक्ता पद नाम एवं वेतनमान उनकी अर्हता की तिथि दिनांक : 22.10.2010 से इस शर्त के साथ दे

दिया जाय कि इन्स्ट्रक्टर जो प्रवक्ता हो जायेंगे, की सेवानिवृत्ति के पश्चात् इन प्रवक्ताओं द्वारा धारित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत इन्स्ट्रक्टर्स के पदनाम तथा वेतनमान के परिवर्तन के फलस्वरूप विश्वविद्यालय के अन्य प्रवक्ताओं के साथ उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सूचना से शासन व मा0 उच्च न्यायालय को भी अवगत करा दिया जाय।

अन्त में कुलपति द्वारा बी0पी0एड0 सत्र 2013–14 के प्रवेश एवं परीक्षा कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण से व सम्बन्धित प्रकरण से एन0सी0टी0ई0 को भी सूचित करने के सन्दर्भ में समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 03.30 बजे

स्थान : कमेटी हाल

<u>उपस्थिति</u> :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ला	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जनार्दन	सदस्य
6.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
7.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
8.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	सदस्य
9.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
10.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
11.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
13.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
14.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री जनार्दन प्रसाद राय भी उपस्थित रहे ।

1.(क) कार्य परिषद् ने दिनांक : 07 फरवरी, 2015 को होने वाले दीक्षान्त समारोह के सम्बन्ध में विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने दिनांक 07.02.2015 को होने वाले दीक्षान्त समारोह हेतु विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 द्वारा डी0लिट्0/पी–एच0डी0 की उपाधियों के योग्य प्रमाणित अभ्यर्थियों की संलग्न सूची को तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कक्षाओं के सत्र 2013–14 के अभ्यर्थियों को उपाधियाँ एवं पदक दिये जाने सम्बन्धी संस्तुति से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

(ख) कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : पी0एस0 05/पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 जो सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के बी0एस0–सी0 कम्प्यूटर साइंस के प्रथम वर्ष के छात्रों के परीक्षाफल घोषित करने सम्बन्धी है, पर विचार किया।

इस प्रकरण पर कार्य परिषद् ने मा0 कुलाधिपति के सचिव के पत्र संख्या पी0एस0 05/पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 से अवगत हुई तथा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि–

कार्य परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 08.01.2015 के बिन्दु संख्या 1 (क) में उक्त महाविद्यालय के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37(2) एवं 37(10) के आलोक में निर्णय लिया था।

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) :

कार्य परिषद् (राज्य सरकार) की पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से समबद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी : (परन्तु यह कि यदि (राज्य सरकार) की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करता है, तो (राज्य सरकार) उस मतहाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे) : (परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है)।	The Executive Council may, with the previous sanction of the [State Government], admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject ot the provisions of sub-section(8), weithdraw or curtail any such privilege: [Provided that if in the opinion of the [State Government], a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the [State Government], may sanction grant of affiliation to the college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit : [Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.]
उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (10) :	
इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उत्तर प्रदेश राज्य **विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस पाठ्यक्रम को जारी करने का हकदार होगा, जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं, लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा।**	Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of the Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place **but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section(2).**

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 के निर्णय :

बिन्दु नं0 1 (क) कार्य परिषद् ने सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 एवं 2014–15 की सम्बद्धता पर विचार किया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रथमतः सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत कम्प्यूटर साइंस विषय के सत्र 2013–14 की सम्बद्धता न होने के कारण सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का परीक्षाफल घोषित न किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2014–15 में भी विश्वविद्यालय के पत्रों द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश न लिये जाने के निर्देश के बावजूद विश्वविद्यालय से बिना सम्बद्धता, पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त किये प्रवेश लेने के कारण भविष्य में इस महाविद्यालय को कम्प्यूटर साइंस विषय में सम्बद्धता प्रदान न की जाय।

महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता, मान्यता व परीक्षा कराने के सम्बन्ध में गलत सूचना देने तथा विश्वविद्यालय के निर्देशों का बार–बार उपेक्षा करने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य व सचिव को कड़ी चेतावनी दी जाय कि भविष्य में इस तरह के कृत्य न किये जॉय। साथ ही छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालय को निर्देशित किया जाय कि कम्प्यूटर साइंस पाठ्यक्रम सत्र 2013–14 में प्रवेशित छात्रों का फीस महाविद्यालय वापस कर दें।

मा0 कुलाधिपति महोदय के सचिव के उक्त पत्र पर कार्य परिषद् ने सम्मानपूर्वक विचार किया और इस पत्र की मंशा के अनुरूप निदानात्मक कार्यवाही हेतु महाविद्यालय से कतिपय सूचनायें प्राप्त करने की अपेक्षा की है, क्योंकि कुलाधिपति महोदय के सचिव का उक्त पत्र आने के पश्चात् महाविद्यालय से जो सूचनायें माँगी गयी थी, महाविद्यालय के प्राचार्य ने उनमें भी भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये हैं। इसलिए कार्य परिषद् यह अनुभव करती है कि महाविद्यालय के प्राचार्य से निम्नांकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या की मांग ली जाय–

(i) सत्र 2013–14 के स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय के बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष छात्रों का बिना परीक्षाफल घोषित हुए कैसे द्वितीय वर्ष (सत्र 2014–15) में प्रवेश दे दिया गया?

(ii) अगर यह प्रवेश औपबन्धिक है तो क्या महाविद्यालय द्वारा छात्रों द्वारा कोई शुल्क लिया गया है? अगर लिया गया है तो इसका अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iii) क्या स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय के बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष के छात्रों का द्वितीय वर्ष (सत्र 2014–15) में कोई अध्ययन–अध्यापन चल रहा है या नहीं? यदि हाँ, तो इसका भी अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करें।

(iv) कार्य परिषद् के सदस्यों ने यह पाया कि प्राचार्य, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के पत्र सं0 : जी0 1–1/2015/914 दिनांक 29.01.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि– "स्नातक स्तर पर स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित अतिरिक्त विषय कम्प्यूटर विज्ञान में सत्र 2014–15 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई माह में कोई भी पत्र महाविद्यालय को नहीं प्राप्त है। अपितु महाविद्यालय को प्रेषित पत्रांक दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1600 दिनांक 27/29 नवम्बर, 2014 को

प्रेषित पत्र (जो महाविद्यालय में 02/12/2014 को प्राप्त हुआ) के माध्यम से सत्र 2014–15 में प्रवेश न करने हेतु कहा गया है, जबकि प्रवेश कार्य माह जुलाई–अगस्त में ही सम्पन्न हो जाता है।" जबकि विश्वविद्यालय अपने पत्र सं0 दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1037 दिनांक 04 जुलाई, 2014 द्वारा यह स्पष्ट निर्देश प्रदान किया है कि– **"महाविद्यालय को अग्रेत्तर यह भी सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.07.2014 से बिना सम्बद्धता प्राप्त किये कोई भी प्रवेश नहीं करेंगे तथा विश्वविद्यालय से प्रवेश क्षमता का निर्धारण कराकर ही प्रवेश किया जाय तथा उससे अधिक प्रवेश नहीं करेंगे। दोनों स्थिति में प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।"** साथ ही इसी पत्र के आधार पर प्राचार्य द्वारा सत्र 2014–15 हेतु निरीक्षण शुल्क भी विश्वविद्यालय में जमा कराया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी प्राचार्य, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर से पृच्छा प्राप्त कर लिया जाय कि इस तरह के पत्र कैसे विश्वविद्यालय को लिख रहे हैं।

महाविद्यालय से दिनांक 10 फरवरी, 2015 तक उक्त सूचनायें माँगने का निर्णय लिया गया, ताकि उन सूचनाओं के उपलब्ध होने के पश्चात् सत्र 2013–14 की स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में अध्ययन करने वाले छात्रों के विषय में निदानात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा सके।

महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के बाद कार्य परिषद् अगली बैठक कर निर्णय लिया जायेगा।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

33rd Convocation - 7th February, 2015

RESEARCH SECTION

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
Gorakhpur - 273009

Ph.D./D.Litt. DEGREES AWARD LIST

AMENDED LIST

FACULTY / SUBJECT	Ph.D. DEGREE AWARDED	D.Litt. DEGREE AWARDED
FACULTY OF SCIENCE		
1- MATHEMATICS	09	———
2- STATISTICS	02	———
3- BIOTECHNOLOGY	03	———
4- BOTANY	04	———
5- ZOOLOGY	14	———
6- CHEMISTRY	05	———
7- PHYSICS	09	———
08- DEFENCE & STRATEGIC STUDIES	05	
FACULTY OF EDUCATION	05	———
FACULTY OF COMMERCE		
1- COMMERCE	13	———
2-BUSI. ADMINISTRATION	01	———
3- ECONOMICS	04	———
FACULTY OF ARTS		
1- SANSKRIT	10	———
2- PHILOSOPHY	02	01
3- GEOGRAPHY	04	———
4- ENGLISH	07	———
5- FINE ARTS	03	———
6- HISTORY	09	———
7- SOCIOLOGY	07	———
8- PSYCHOLOGY	13	———
9- POLITICAL SCIENCE	15	———
10- ANCIENT HISTORY, ARCH. & CULTURE	13	———
11- HINDI	22	———
GRAND TOTAL	179	01

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 04.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ला	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
6.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
11.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
13.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
14.	प्राचार्य, सेंण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर	विशेष आमंत्रित
15.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री जनार्दन प्रसाद राय भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 सुरेन्द्र दूबे, अधिष्ठाता– कला संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, प्रो0 जर्नादन, आचार्य– हिन्दी विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, एवं डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी, प्राचार्य, किसान पी0जी0 कालेज, सेवरही, तमकूही रोड, कुशीनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठता– विधि संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर तथा प्रो0 डी0एन0 यादव, आचार्य– दर्शनशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया –

1.(क) कार्य परिषद् ने श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : पी0एस0 05 / पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 के आलोक में दिनांक : 30.01.2015 को सम्पन्न कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के बी0एस0–सी0 कम्प्यूटर साइंस प्रथम वर्ष सत्र 2013–14 एवं सत्र 2014–15 में प्रवेशित छात्रों के सम्बन्ध में विचार किया।

कार्य परिषद् के सदस्यों को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08.01.2015 एवं 30.01.2015 के निर्णयों एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 (2) एवं 37 (10) के प्रावधानों से अवगत कराया गया—

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) :

कार्य परिषद् राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, किसी भी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाये, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से समबद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (8) के प्रावधानों के अध्यधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी : (परन्तु यह कि यदि राज्य सरकार की राय में, महाविद्यालय सारवान् रूप से सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करता है, तो राज्य सरकार उस मतहाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने की स्वीकृति दे सकेगी अथवा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में एक अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उसके विशेषाधिकारों को विस्तारित कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे) : (परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिए उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है)।	The Executive Council may, with the previous sanction of the State Government, admit any college which fulfils such conditions of affiliation, as may be prescribed, to the privileges of affiliation or enlarge the privileges of any college already affiliated or subject ot the provisions of sub-section(8), weithdraw or curtail any such privilege: [Provided that if in the opinion of the State Government, a college substantially fulfils the conditions of affiliation, the State Government, may sanction grant of affiliation to the college or enlarge the privileges thereof in specific subjects for one term of a course of study on such terms and conditions as he may deem fit : [Provided further that unless all the prescribed conditions of affiliation are fulfilled by a college, it shall not admit any student in the first year of the course of study for which affiliation is granted under the foregoing proviso after one year from the date of commencement of such affiliation.]
उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (10) :	
इस अधिनियम के अन्य किसी भी प्रावधान में अन्तर्विष्ट प्रतिकूल किसी भी बात के होते हुए महाविद्यालय, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट विषयों में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा पहले से सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, अध्ययन के उस पाठ्यक्रम को जारी करने का हकदार होगा, जिसके लिए पहले ही प्रवेश लिए जा चुके हैं, लेकिन वह उपधारा (2) के अधीन सम्बद्धता को प्राप्त किये बिना अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा।	Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of the Act, a college, which has already been given affiliation to a University before the commencement of the Uttar Pradesh State Universities (amendment) Act, 2003 in specific subjects for a specified period shall be entitled to continue the course of study for which admissions have already taken place **but it shall not admit any student in the first year of such course of study without obtaining affiliation under sub-section(2).**

सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्राचार्य को कार्य परिषद् की बैठक में उनका पक्ष जानने के लिए आमंत्रित किया गया था। परिषद् के समक्ष उन्होंने अपना विस्तृत पक्ष रखा तथा परिषद् के सम्मानित सदस्यों ने उनसे इस प्रकरण के विभिन्न पक्षों पर पृच्छायें भी कीं, परन्तु प्राचार्य विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में बिना सम्बद्धता प्राप्त किये सत्र 2013–14 में लिये गये प्रवेश पर तथा इसी विषय में सत्र 2014–15 में, विश्वविद्यालय द्वारा बिना सम्बद्धता प्राप्ति के प्रवेश न लिये जाने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद, लिये गये प्रवेश के औचित्य पर विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण उत्तर नहीं दे सके।

सदन ने कुलाधिपति महोदय के पत्र सं0 पी0एस0 05/पी0जी0एस0 दिनांक 15 जनवरी, 2015 का सम्मान करते हुए छात्रों के हित में "निदानात्मक कार्यवाही" के उनके निर्देश के सन्दर्भ में सकारात्मक विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि–

1. सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में सत्र 2013–14, प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के परीक्षाफल घोषित करने एवं इन छात्रों को कम्प्यूटर साइंस द्वितीय वर्ष (सत्र 2014–15) हेतु **विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय में समायोजित करने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।**

2. सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय में सत्र 2014–15 में सम्बद्धता न होने के कारण इस विषय में बी0एस–सी0 में प्रवेशित छात्रों को कम्प्यूटर साइंस विषय परिवर्तन की अनुमति दी जाती है।

3. कार्य परिषद् के सभी सदस्यों ने सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया कि विश्वविद्यालय को एवं सदन को प्राचार्य द्वारा भ्रामक सूचना देने एवं जानबूझकर तथ्यों को छिपाकर सत्र 2013–14 में विज्ञान संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर कम्प्यूटर साइंस विषय के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों के बावजूद सत्र 2014–15 में इसी विषय में प्रथम वर्ष में बिना सम्बद्धता के पुनः प्रवेश लेने हेतु दोषी पाया। अतः परिषद् द्वारा सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के उपर रू0 बीस लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया।

(ख) अध्यक्ष की अनुमति से कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 24.07.2014 के बिन्दु संख्या 76 (2) में लिये गये निर्णयानुसार प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग के निदेशक, सहायक निदेशक एवं परियोजना अधिकारियों को क्रमशः प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर के सदृश्य अधिवर्षिता आयु प्रदान किये जाने सम्बन्धी विषय पर परिनियम बनाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

for कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

F-Ex_Cu_18313

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 27.03.2015 का कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे

स्थान : कमेटी हाल

<u>उपस्थिति</u> :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ला	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0डी0एन0यादव	सदस्य
6.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	सदस्य
7.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
8.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
10.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
12.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
13.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया –

बिन्दु संख्या	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की–** 1. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की **बिन्दु संख्या**– 37 पर महामहिम कुलाधिपति जी के सचिव द्वारा प्रेषित पत्र संख्या ई–4108/7 जी0एस0/2013 दिनांक 16.05.2014 के आलोक में नर्सिंग, फार्मेसी तथा हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के विभाग औषधि संकाय में शामिल किये गये" संशोधन को माननीय सदस्यों ने वापस ले लिया और कहा कि इस बिन्दु पर संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 2. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की **बिन्दु संख्या**– 45 पर अनुशासनिक समिति की आख्या की बिन्दु संख्या 1–6 को यथावत स्वीकार किया। बिन्दु–7 का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से नहीं है। अतः इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रो0 वर्मा का वेतन एवं सेवाओं का सातत्य सुरक्षित रखा जाय तथा बकाये वेतन का भुगतान किया जाय, पढा जाय। 3. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की **बिन्दु संख्या**– 46 पर अपनी बैठक दिनांक : 03.02.2013 की बिन्दु संख्या 10, 11 एवं 12 द्वारा प्रो0 राजेन्द्र सिंह–प्राणिविज्ञान विभाग, प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय–वाणिज्य विभाग एवं प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव– प्राणिविज्ञान विभाग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पत्र सं0 393/जी0एस0/7–जी0एस0 (68)/2012 दिनांक 14.01.2013 में दिये गये निर्देशानुसार गठित

	अनुशासनिक समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए तीनों आचार्यों प्रो0 राजेन्द्र सिंह (प्राणिविज्ञान विभाग), प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय (वाणिज्य विभाग), प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव (प्राणिविज्ञान विभाग) के वेतन, वरिष्ठता एवं सेवाओं का सातत्य सुरक्षित रखा जाय तथा बकाये वेतन का भुगतान किया जाय, पढ़ा जाय। 4. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की **बिन्दु संख्या**– 49 पर डॉ0 पटेल के प्रकरण पर लिये निर्णयानुसार "चेतावनी देते हुए पद को विलुप्त करके "अनुशासन समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को प्रकरण के Trivial Nature का होने के कारण उसे समाप्त करने निर्णय लिया गया।" पढ़ा जाय। 5. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की **बिन्दु संख्या**– 63 पर डॉ0 (श्रीमती) सरिता पाण्डेय के प्रतिवेदन पर विचार करते समय यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि डॉ0 (श्रीमती) सरिता पाण्डेय की स्ववित्तपोषित महाविद्यालय चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला महाविद्यालय में की गयी सेवायें उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किसी भी लाभ के लिए अमान्य कर दी गयी है। इसका उल्लेख वरिष्ठता समिति की रिपोर्ट में भी है। इसलिए कार्य परिषद् वरिष्ठता समिति के निर्णय से सहमत होते हुए यह निर्णय लेती है कि डॉ0 शोभा गौड़, डॉ0 सरिता पाण्डेय से वरिष्ठ हैं। 6. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 की **बिन्दु संख्या**– 82 पर कार्य परिषद् ने शासनादेश संख्या : 206/सत्तर–1–2011–14(12)/07 दिनांक 23 मई, 2011 पर लिये गये निर्णय को यथावत रहने देने का निर्णय लिया।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। कार्य परिषद् पक अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही बिन्दु संख्या 47 के सम्बन्ध में जो डॉ0 जे0 ए0 वी0 प्रसादा राव, उपाचार्य, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय क्रम में डॉ0 राव को सदन में बुलाकर उनकी व्यक्तिगत सुनवाई की गयी। परिषद् ने इस सन्दर्भ को पुनर्विचार करने का निर्णय लिया।

3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.08.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2015 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना। **कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.01.2014 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
7.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
8.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना (प्रतिलिपि संलग्न)।

	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 30.01.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
9.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। **कार्य परिषद् ने अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।**
10.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन से अवगत होना (प्रतिलिपि संलग्न)। **कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 14.02.2015 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।**
11.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 836/सत्तर–1–2014–15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर पद्रेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या : 975/79–वि–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 से सम्बन्धित है, से अवगत होना। **कार्य परिषद् विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 836/सत्तर–1–2014–15(15)/2007 दिनांक 20 अगस्त, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 (उत्तर पद्रेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या : 975/79–वि–1–14–1(क)/19/2014 दिनांक 18 जुलाई, 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 से सम्बन्धित है, से अवगत हुई। प्रक्रियात्मक कार्यवाही के क्रम में परिषद् ने सर्वसम्मति से सम्बद्धता निर्गत करने हेतु आदेश प्रदान करने हेतु कुलपति को अधिकृत किया, जिसका**

	कार्योत्तर अनुमोदन इस परिषद् द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य परिषद् ने सम्बद्धता के प्रस्तावों पर निरीक्षण मण्डल गठित करने एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु विषय विशेषज्ञ देने हेतु भी कुलपति को अधिकृत किया।
12.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2014 की संस्तुतियों पर विचार। **कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 14.10.2014 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।**
13.	कार्यालय आदेश सं0 : सा0प्र0 / छात्रा0 / 2014 / 4531 दिनांक 10.10.2014 जो विभिन्न छात्रावासों में अभिरक्षक / अधीक्षक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् कार्यालय आदेश सं0 : सा0प्र0 / छात्रा0 / 2014 / 4531 दिनांक 10.10.2014 जो विभिन्न छात्रावासों में अभिरक्षक / अधीक्षक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।**
14.	कार्यालय ज्ञाप सं0 : सा0प्र0 / 2014 / 4553 दिनांक : 18.11.2014 द्वारा प्रो0 पी0सी0 शुक्ल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन करने पर विचार। **कार्य परिषद् कार्यालय ज्ञाप सं0 : सा0प्र0 / 2014 / 4553 दिनांक : 18.11.2014 द्वारा प्रो0 पी0सी0 शुक्ल, आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग को अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।**
15.	कार्यालय आदेश सं0 : साप्र / 2014 / 4574 दिनांक 22.11.2014 द्वारा डॉ0 मो0 रजिउर्ररहमान, सहयुक्त आचार्य, उर्दू विभाग को अध्यक्ष– उर्दू विभाग के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन

	करने पर विचार। **कार्य परिषद्** कार्यालय आदेश सं0 : साप्र/2014/4574 दिनांक 22.11.2014 द्वारा डॉ0 मो0 रजिउर्रहमान, सहयुक्त आचार्य, उर्दू विभाग को अध्यक्ष– उर्दू विभाग के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
16.	कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 : 4881/सा0प्र0/2014 दिनांक 06.09.2014 जो डॉ0 गोपाल प्रसाद, सहयुक्त आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के द्वारा डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से सहयुक्त आचार्य के पद से कार्यमुक्त होकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में अपने मौलिक पद पर दिनांक 14.08.2014 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किये जाने एवं उनके द्वारा पूर्व में लिये गये एक वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश दिनांक 01.06.2013 से 30.05.2014 के क्रम में दिनांक 01.06.2014 से 13.08.2014 तक दो माह तेरह दिन का अवैतनिक असाधारण अवकाश, संशोधित अवकाश परिनियम 15.19 में प्रावधानित उपबन्धों/नियमों के अधीन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद्** कुलपति जी के आदेश दिनांक 04.09.2014 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 : 4881/सा0प्र0/2014 दिनांक 06.09.2014 जो डॉ0 गोपाल प्रसाद, सहयुक्त आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के द्वारा डॉ0 हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश से सहयुक्त आचार्य के पद से कार्यमुक्त होकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में अपने मौलिक पद पर दिनांक 14.08.2014 के पूर्वान्ह से कार्यभार ग्रहण किये जाने एवं उनके द्वारा पूर्व में लिये गये एक वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश दिनांक 01.06.2013 से 30.05.2014 के क्रम में दिनांक 01.06.2014 से 13.08.2014 तक दो माह तेरह दिन का

	अवैतनिक असाधारण अवकाश, संशोधित अवकाश परिनियम 15.19 में प्रावधानित उपबन्धों/नियमों के अधीन स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
17.	एन0सी0टी0ई0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विधि सलाहकार से प्राप्त राय के आलोक में चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल डिग्री कालेज, हथियहवॉ, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर, प्रभादेवी महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, वरडीहा, कुशीनगर एवं किसान महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर की बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 से मान्यता समाप्त करने पर विचार। कार्य परिषद् ने एन0सी0टी0ई0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में विधि सलाहकार से प्राप्त राय के आलोक में (1) चौधरी महावीर प्रसाद मेमोरियल डिग्री कालेज, हथियहवॉ, बर्डपुर, सिद्धार्थनगर, (2) प्रभादेवी महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर, (3) विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदीशपुर, वरडीहा, कुशीनगर एवं (4) किसान महाविद्यालय, पैकौली हाटा, कुशीनगर की बी0एड0 पाठ्यक्रम की सत्र 2015–16 से मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया तथा पाँचवें महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह डिग्री कालेज, हरनहीं महुराँव, गोरखपुर के सन्दर्भ में एन0सी0टी0ई0 से कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं होने पर अनुस्मारक प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
18.	प्राचार्य, गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ महाविद्यालय, चौका बाजार, महराजगंज के पत्र सं0 : गो0म0अ0म0/198/2015 दिनांक : 10.11.2014 जो परीक्षा– 2015 के शुल्क से क्रीड़ा शुल्क हटाने के सन्दर्भ में है, पर विचार। कार्य परिषद् प्राचार्य, गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ महाविद्यालय, चौका बाजार, महराजगंज के पत्र सं0 :

	गो0म0अ0म0 / 198 / 2015 दिनांक : 10.11.2014 जो परीक्षा– 2015 के शुल्क से क्रीड़ा शुल्क हटाने के सन्दर्भ में है, पर विचार करते हुए (बिन्दु संख्या–19 को सम्मिलित करते हुए) निर्णय लिया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अन्य महाविद्यालयों के प्राचार्य से बैठक कर विमर्श कर लें। इसके उपरान्त कार्य परिषद् को पूरी वस्तुस्थिति से अवगत करायें तद्‌नुसार निर्णय लिया जायेगा।
19.	डॉ0 हर्ष कुमार सिन्हा, अध्यक्ष, क्रीड़ा परिषद, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के दिनांक रहित पत्र जो कुछ स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों द्वारा क्रीड़ा परिषद् की सदस्यता से मुक्त होने सम्बन्धी है, पर विचार। **कार्य परिषद् इस प्रकरण को बिन्दु संख्या–18 के साथ जोड़ कर का निर्णय लेने का निर्णय लिया।**
20.	कार्यालय ज्ञाप सं0 : सा0प्र0 / 2014 / 4530 दिनांक 15.11.2014 जो प्रो0 सी0पी0एम0 त्रिपाठी, आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग द्वारा अध्यक्ष– जैव प्रौद्यागिकी विभाग से त्याग पत्र देने के उपरान्त प्रो0 राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष– प्राणिविज्ञान विभाग को अध्यक्ष– जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दायित्व को संभालने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने कार्यालय ज्ञाप सं0 : सा0प्र0 / 2014 / 4530 दिनांक 15.11.2014 जो प्रो0 सी0पी0एम0 त्रिपाठी, आचार्य, प्राणिविज्ञान विभाग द्वारा अध्यक्ष– जैव प्रौद्यागिकी विभाग से त्याग पत्र देने के उपरान्त प्रो0 राजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष– प्राणिविज्ञान विभाग को अध्यक्ष– जैव प्रौद्योगिकी विभाग के दायित्व को संभालने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की।**
21.	कार्यालय ज्ञाप सं0 : 4014 / सा0प्र0 / 2014 दिनांक : 31.7.2014 जो

	प्रो0 चित्तरंजन मिश्र, आचार्य–हिन्दी विभाग की नियुक्ति महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रति–कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.07.2014 द्वारा प्रो0 मिश्र को विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित)15.18 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन दिनांक 04.08.2014 से दो वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद्** कार्यालय ज्ञाप सं0 : 4014/सा0प्र0/2014 दिनांक : 31.7.2014 जो प्रो0 चित्तरंजन मिश्र, आचार्य–हिन्दी विभाग की नियुक्ति महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रति–कुलपति पद पर होने के फलस्वरूप कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.07.2014 द्वारा प्रो0 मिश्र को विश्वविद्यालय परिनियम (यथा संशोधित) 15.18 एवं उसके विभिन्न उपबन्धों के अधीन दिनांक 04.08.2014 से दो वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी है, से अवगत होते हुए अपनी स्वीकृति प्रदान की। साथ ही कुलसचिव, महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के पत्र सं0 : स्था/4054/2014/म.ग.अ.हि.वि. दिनांक 08.12.2014 के पत्र के अनुरोध में उक्त अवधि को प्रतिनियुक्ति में परिवर्तित करने पर यह निर्णय किया गया कि इस पर प्रशासनिक परीक्षण करने के उपरान्त अलग से विचार किया जायेगा।
22.	प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, गोरखपुर के पत्र संत्र संत्र : 840–43/दु0सं0गो0/विपणन/बूथ/2014–15 दिनांक 05.09.2014 जो विश्वविद्यालय परिसर में पराग मिल्क बूथ हेतु 8 ग 8 फिट = 64 वर्ग फिट स्थान/जमीन के आंवटन सम्बन्धी है, पर विचार। कार्य परिषद् प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध संघ, गोरखपुर के पत्र सं0 : 840–43/दु0सं0गो0/विपणन/बूथ/2014–15 दिनांक 05.09.2014 जो विश्वविद्यालय परिसर में पराग मिल्क बूथ हेतु 8 ग 8 फिट – 64 वर्ग फिट स्थान/जमीन के आंवटन के सम्बन्ध में निर्णय लिया

	कि इन्हें नये कैफेटेरिया में स्थान दे दिया जाय।
23.	परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.09.2014 के बिन्दु संख्या– 8 द्वारा लिये गये निर्णय जो श्री धर्मेन्द्र कुमार, शोध छात्र के एम0एड0 वर्ष 2009 की उपाधि निरस्त करने सम्बन्धी है, पर विचार। **कार्य परिषद् ने परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20.09.2014 के बिन्दु संख्या– 8 द्वारा लिये गये निर्णय जो श्री धर्मेन्द्र कुमार, शोध छात्र के एम0एड0 वर्ष 2009 की उपाधि निरस्त कर दिया।**
24.	उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत विनियमित किये गये निम्नलिखित 11 शिक्षकों, जिनकी गोपनीय प्रविष्टि आख्या प्राप्त हो गयी है के स्थायीकरण पर विचार। 1. डॉ0 ध्यानेन्द्र नारायण दूबे, प्राचीन इतिहास विभाग, 2. डॉ0 राम प्यारे मिश्र, प्राचीन इतिहास विभाग, 3. डॉ0 (श्रीमती) निशा जायसवाल, राजनीति विज्ञान विभाग 4. डॉ0 सुनील कुमार श्रीवास्तव, प्राणिविज्ञान विभाग, 5. डॉ0 श्रीकृष्ण तिवारी, प्राणिविज्ञान विभाग, 6. डॉ0 विनय कुमार सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग, 7. डॉ0 केशव सिंह, प्राणिविज्ञान विभाग, 8. डॉ0 (श्रीमती) मधु सत्यदेव, संस्कृत विभाग, 9. डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव, इतिहास विभाग, 10. डॉ. मनोज कुमार तिवारी, इतिहास विभाग एवं 11. डॉ0 प्रेमव्रत तिवारी, हिन्दी विभाग। **कार्य परिषद् उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत विनियमित किये गये उक्त 11 शिक्षकों, जिनकी गोपनीय प्रविष्टि आख्या प्राप्त हो गयी है को स्थायी करने का निर्णय लिया।**
25.	डॉ0 राकेश तिवारी, सहायक आचार्य– भौतिकी विभाग के वेतन संरक्षण से सम्बन्धी प्राप्त शासनादेश के आधार पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 : साप्र/2014/4504 दिनांक 27.10.2014 से अवगत होना। **कार्य परिषद् डॉ0 राकेश तिवारी, सहायक आचार्य– भौतिकी विभाग**

के वेतन संरक्षण से सम्बन्धी प्राप्त शासनादेश के आधार पर निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 : साप्र/2014/4504 दिनांक 27.10.2014 एवं पत्र सं0 : 4986/सा0प्र0/2015 दिनांक 16.01.2015 से अवगत हुई।

26. प्रभा देवी महिला महाविद्यालय, मानीराम, गोरखपुर की स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों में प्रबन्ध तन्त्र के प्रस्ताव के क्रम में सम्बद्धता वापसी पर विचार।

कार्य परिषद् प्रभा देवी महिला महाविद्यालय, मानीराम, गोरखपुर की स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों में प्रबन्ध तन्त्र के प्रस्ताव के क्रम में सम्बद्धता वापस करने तथा उक्त महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा एफ0डी0आर0 वापस करने का निर्णय लिया।

27. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करना (सूची संलग्न)।

कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।

28. विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभूतियों/महानुभावों की मूर्ति लगाने सम्बन्धी एवं अन्य मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित पत्रों पर विचार–

क्रम सं0	पत्रों का विवरण	मूर्तियों का विवरण
1.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 ई– 6945/7–जी0एस0 दिनांक : 27 अगस्त, 2014 के उत्तर में कुलपति जी द्वारा प्रेषित पत्र सं0 203/कुलपति/रा0स0/2014 दिनांक 29.08.2014	पं0 दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने सम्बन्धी

2.	श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के प.त्र सं0 ई– 7814/जी0एस0 दिनांक : 18 सितम्बर, 2014	विश्वविद्यालय परिसर में स्व0 डॉ0 सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की प्रतिमा लगाने सम्बन्धी
3.	महन्त योगी आदित्यनाथ मंत्री/ प्रबन्धक एव संसद सदस्य (लोक सभा) तथा प्रो0 यू0पी0 सिंह, सदस्य कार्यपरिषद के पत्र दिनांक 05.12.2014	विश्वविद्यालनय परिसर में ब्रह्मलीन पूज्य महन्त दिग्विजय नाथ जी महराज की मूर्ति की स्थापना
4.	श्री रणजीत राय बड़े, महानगर अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, महानगर, गोरखपुर का पत्र	जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने तथा दीनदयाल अध्ययन पीठ की स्थापना
5.	श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह, अखिल भारतीय बीर बहादुर सिंह जन सेवा संस्थान रजि0 कार्यालय–3 माल एवेन्यु लखनऊ उ0प्र0 के पत्र दिनांक 15.12.2014	विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री स्व0 बीर बहादुर सिंह की मूर्ति
6.	श्री महेन्द्र सिंह राणा, जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल गोरखपुर के पत्र दिनांक 16. 12.2014	गोरखपुर की पहचान स्व0 रघुपति सहाय फिराक की मूर्ति हिन्दी विभाग के परिसर में
7.	श्री के0डी0 दूबे ,सेक्रेटरी ,हरिहर प्रसाद दूबे मेमोरियल सोसाइटी बेतियाहाता गोरखपुर के पत्र दिनांक 27.12.2014	श्री हरिहर प्रसाद दूबे की मूर्ति स्थापना
8.	श्री नीरज शाही, महामंत्री ,छात्र संघ, दी0द0उ0गो0वि0वि0 गोरखपुर के पत्र दिनांक 16.12.2014	जो नित्यलीलालीन भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ,महन्त दिग्विजयनाथ एवं महन्त अवैद्य नाथ जी महराज की मूर्ति
9.	श्री ऋषि कपूर गौतम, अध्यक्ष– डॉ0 अम्बेडकर छात्र युवा चेतना समिति, गोरखपुर का पत्र दिनांक 11.03.2015	डॉ0 बी0आर0अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा की स्थापना सहित पाँच सूत्रीय माँग

कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न विभूतियों/महानुभावों की मूर्ति लगाने सम्बन्धी मांग एवं अन्य मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित की

	एक समिति गठित की जाय। समिति की आख्या प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा– 1. प्रो0 यू0पी0 सिंह– संयोजक 2. प्रो0 सतीश कुमार–सदस्य 3. प्रो0 ए0के0सिंह– सदस्य
29.	कार्यालय ज्ञाप संख्या 4694/सा0प्र0/2014 दिनांक 22.12.2014 डॉ0 ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग को दिनांक 27.03.2014 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है से अवगत होना। **कार्य परिषद् कार्यालय ज्ञाप संख्या 4694/सा0प्र0/2014 दिनांक 22.12.2014 डॉ0 ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा विभाग को दिनांक 27.03.2014 के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है से अवगत हुई।**
30.	कार्यालय आदेश संख्या सा0प्र0 /2015 /4828 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.01.2015 के अनुपालन में श्री सचिन मिश्र पुत्र स्व0 डॉ0 रामप्रीत मिश्र, की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नैत्यिक लिपिक पद पर अस्थायी नियक्ति के अनुमोदन पर विचार। **कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या सा0प्र0/2015/4828 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 31.01.2015 के अनुपालन में श्री सचिन मिश्र पुत्र स्व0 डॉ0 रामप्रीत मिश्र की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नैत्यिक लिपिक पद पर आदेश पर अनुमोदन प्रदान किया।**
31.	कार्यालय आदेश संख्या सा0प्र0/2015/4831 दिनांक 04.02.2015 श्री रामदयाल पुत्र श्री रमाकान्त ग्राम–देवीपुर टोला, लक्ष्मनपुर पो0–बालापार थाना–चिलुआताल, जनपवद गोरखपुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार।

	कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या सा0प्र0/2015/4831 दिनांक 04.02.2015 श्री रामदयाल पुत्र श्री रमाकान्त ग्राम–देवीपुर टोला, लक्ष्मनपुर पो0–बालापार थाना–चिलुआताल, जनपद गोरखपुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया।
32.	कार्यालय आदेश संख्या 3945/सा0प्र0/दिनांक 02.07.2014 श्री राम अशीष यादव पुत्र स्व0रामबचन निवासी ग्राम –कजाकपुर पो0–रामपुर, तहसील–सदर जिला–गोरखपवुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार। कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या 3945/सा0प्र0/दिनांक 02.07.2014 श्री राम अशीष यादव पुत्र स्व0रामबचन निवासी ग्राम –कजाकपुर पो0–रामपुर, तहसील–सदर जिला–गोरखपवुर को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया।
33.	कार्यालय आदेश संख्या साप्र0 /2015/4821 दिनांक 02.02.2015 श्री चन्दन पुत्र श्रीमती शारदा, स्वच्छक कालोनी को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति के अनुमोदन पर विचार। कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय आदेश संख्या साप्र0/2015/4821 दिनांक 02.02.2015 श्री चन्दन पुत्र श्रीमती शारदा, स्वच्छक कालोनी को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति पर अनुमोदन प्रदान किया।
34.	कार्यालय आदेश संख्या दी0द0उ0गो0वि0वि0/कुसकास/2015/197 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 11.12.2014 के अनुसार डॉ0 रविकान्त उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग को इन्टीग्रेटेड स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का नोडल आफिसर नामित किया

	गया है से अवगत होना।
	कार्य परिषद् कार्यालय आदेश संख्या दी0द0उ0गो0वि0वि0/कुसकास/2015/197 दिनांक 02.02.2015 कुलपति जी के आदेश दिनांक 11.12.2014 के अनुसार डॉ0 रविकान्त उपाध्याय, एसोसिएट प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग को इन्टीग्रेटेड स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का नोडल आफिसर नामित करने सम्बन्धी आदेश से अवगत हुई।
35.	प्रो0 आर0सी0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष– गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.09.2014 जो प्रो0 बी0जी0 वर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय के स्मृति में एम0ए0/एम0एस–सी0 गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक दिये जाने सम्बन्धी है, पर विचार। कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त प्रो0 आर0सी0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष– गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.09.2014 जो प्रो0 बी0जी0 वर्मा, पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता– विज्ञान संकाय के स्मृति में एम0ए0/एम0एस–सी0 गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्ण पदक दिये जाने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू0 25,000–00 से बढ़ाकर रू0 1,00,000–00 कर दी जाय।
36.	प्रो0 आर0सी0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष– गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.09.2014 जो एम0ए0/एम0एस–सी0 गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को "श्याम केश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक" दिये जाने सम्बन्धी है, पर विचार।

	कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त प्रो0 आर0सी0 श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष– गणित एवं सांख्यिकी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29.09.2014 जो एम0ए0/एम0एस–सी0 गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को ''श्याम केश्वरी स्मृति स्वर्ण पदक'' दिये जाने सम्बन्धी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू0 25,000–00 से बढ़ाकर रू0 1,00,000–00 कर दी जाय।
37.	श्री महन्त योगी आदित्यनाथ मंत्री/प्रबन्धक संसद सदस्य (लोकसभा) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एम0पी0 विल्डिंग, गोलघर गोरखपुर के पत्र दिनांक 05.12.2014 जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, योगिराज बाबा गम्भीरनाथ जी, ब्रह्नलीन परमपूज्य महन्त दिग्विजयनाथ जी महराज एवं ब्रहमलीन परम पूज्य महन्त अवैद्यनाथ जी महराज के नामो पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध में है पर विचार। कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त श्री महन्त योगी आदित्यनाथ मंत्री/प्रबन्धक संसद सदस्य (लोकसभा) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद एम0पी0 विल्डिंग, गोलघर गोरखपुर के पत्र दिनांक 05.12.2014 जो महायोगी गुरु गोरक्षनाथ, योगिराज बाबा गम्भीरनाथ जी, ब्रह्मलीन परमपूज्य महन्त दिग्विजयनाथ जी महराज एवं ब्रहमलीन परम पूज्य महन्त अवैद्यनाथ जी महराज के नामों पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा स्वर्ण पदक दिये जाने के संबंध में है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू0 25,000–00 से बढ़ाकर रू0 1,00,000–00 प्रति स्वर्ण पदक कर दी जाय।

38.	श्री के0डी0 दूबे, सेक्रेटरी, हरिहर प्रसाद दूबे मेमोरियल सोसाइटी, बेतियाहाता गोरखपुर के पत्र दिनांक 27.12..2014 जो स्व0 पिता श्री हरिहर प्रसाद दूबे की स्मृति में विश्वविद्यालय में बी0काम0 परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष स्वर्ण पदक दिये जाने संबंधी है पर विचार। कार्य परिषद् सम्यक् विचारोपरान्त श्री के0डी0 दूबे, सेक्रेटरी, हरिहर प्रसाद दूबे मेमोरियल सोसाइटी, बेतियाहाता गोरखपुर के पत्र दिनांक 27.12..2014 जो स्व0 पिता श्री हरिहर प्रसाद दूबे की स्मृति में विश्वविद्यालय में बी0काम0 परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को प्रत्येक वर्ष स्वर्ण पदक दिये जाने संबंधी है, को स्वीकार किया तथा यह भी निर्णय लिया कि स्वर्ण प्रदान करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि रू0 25,000—00 से बढ़ाकर रू0 1,00,000—00 प्रति स्वर्ण पदक कर दी जाय।
39.	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की संस्तुतियों पर विचार। कार्य परिषद् सम्यक् ने विचारोपरान्त विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 28.01.2015 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए अपनी अनुमोदन/स्वीकृत प्रदान की।
40.	वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की संस्तुतियों पर विचार। कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 22.01.2015 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों के बिन्दु संख्या 27(क) को पुनर्विचार हेतु वित्त समिति को वापस करते हुए शेष बिन्दुओं की अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की।
41.	वित्त समिति की संस्तुति दिनांक 23.02.2015 की संस्तुतियों पर विचार। कार्य परिषद् वित्त समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों पर

	अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की।
42.	कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0प्र0/2014/4714 दिनांक 26.12.2014 द्वारा डॉ0 सतीश चन्द्र पाण्डेय सहयुक्त आचार्य रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को दिनांक 01.01.2015 से एक वर्ष या अन्य कोई आदेश जो भी पहले हो तक के लिये नियन्ता नियुक्त किया जाता है के अनुमोदन पर विचार। **कार्य परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0प्र0/2014/4714 दिनांक 26.12.2014 द्वारा डॉ0 सतीश चन्द्र पाण्डेय सहयुक्त आचार्य रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग को दिनांक 01.01.2015 से एक वर्ष या अन्य कोई आदेश जो भी पहले हो तक के लिये नियन्ता नियुक्त किया जाता है से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।**
43.	पेसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरैपी गोरखपुर एवं पूर्वान्चल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइसेज, गीडा गोरखपुर के छात्रो को उपाधि निर्गत करने हेतु उपाधि के प्रारुप को तैयार करने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर विचार। **कार्य परिषद् ने पेसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरैपी गोरखपुर एवं पूर्वान्चल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साइसेज, गीडा गोरखपुर के छात्रो को उपाधि निर्गत करने हेतु उपाधि के प्रारुप को अनुमोदित किया।**
44.	उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0 : 2572/सत्तर–6–2011–2(36)2010 दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के अनुसार डॉ0 राम मनोहर लोंहिया महाविद्यालय, सतरॉव, देवरिया के संचालन हेतु गाटों की संयुक्तता हेतु 2.00 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध न होने एवं पूर्व में निर्गत एन0ओ0सी0 दिनांक 26.07.2006 प्राप्त किये जाने हेतु गाटा संख्या–620/1.215 हेक्टेयर की कूटरचित खतौनी प्रस्तुत करने के कारण उक्त

	महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति न दिये जाने के दृष्टिगत महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्ति के प्रकरण पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0 : 2572/सत्तर–6–2011–2(36)2010 दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के अनुसार डॉ0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, सतरॉव, देवरिया के संचालन हेतु गाटों की संयुक्तता हेतु 2.00 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध न होने एवं पूर्व में निर्गत एन0ओ0सी0 दिनांक 26.07.2006 प्राप्त किये जाने हेतु गाटा संख्या– 620/1.215 हेक्टेयर की कूटरचित खतौनी प्रस्तुत करने के कारण उक्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति न दिये जाने के दृष्टिगत महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्ति करने का निर्णय लिया।
45.	कार्यालय आदेश सं0 : 4502/सा0प्र0/2015 दिनांक 18.03.2015 जो विभिन्न छात्रावासों में अधीक्षक/अधीक्षिका पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने कार्यालय आदेश सं0 : 4502/सा0प्र0/2015 दिनांक 18.03.2015 जो विभिन्न छात्रावासों में अधीक्षक/अधीक्षिका पद पर नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
46.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 26.07.2014 के बिन्दु संख्या 52 एवं 76(5) द्वारा रिसर्च एशोसिएट के रूप में की गयी सेवा को जोड़ने हेतु दिनांक 06.12.2014 द्वारा गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के बन्द लिफाफा को खोलने पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 के बिन्दु संख्या 52 एवं 76(5) द्वारा रिसर्च एशोसिएट के रूप में की गयी सेवा को जोड़ने हेतु दिनांक 06.12.2014 द्वारा

गठित समिति जिसके (1) प्रो0 यू0पी0 सिंह, (2) सुरेन्द्र दुबे, सदस्य, (3) डॉ0 सतीश कुमार सदस्य थे, द्वारा दी गयी संस्तुति के बन्द लिफाफा खोला गया, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया कि "यू0जी0सी0 के पत्र संख्या दिनांक 12 मार्च, 2010 एवं शासन के पत्र संख्या 402/सत्तर–1–2011–15 (72)/2011 दिनांक 04 मई, 2011 के आलोक में परिनियमावली में अपेक्षित संशोधन करने के उपरान्त इस व्यवस्था का लाभ निर्धारित मानक पूरा करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों को दिया जाय"।

राजभवन से विश्वविद्यालय को प्राप्त पत्र सं0 ई0–3705/7 जी0एस0/2012 VI दिनांक 28.04.2014 पर चर्चा की गयी, जिसमें शासन के पत्र सं0 : 402/सत्तर–1–2011–15 (72)/2011 दिनांक 04 मई, 2011 में दिये प्रावधानों के अनुसार प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान हेतु रिसर्च एसोसिएट के रूप में की गयी सेवा को जोड़े जाने सम्बन्धी तैयार किये गये परिनियम की स्वीकृति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय पत्र प्रेषित किया गया था। विश्वविद्यालय के इस पत्र क्रम में राजभवन से प्राप्त उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में यह उद्धृत है कि "विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय शिक्षकों की न्यूनतम अर्हताएं, सेवा शर्तों तथा कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति हेतु प्रावधानों को यू0जी0सी0 विनियम 2010 के आधार पर सभी विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली में शासनादेश दिनांक 03.12.2013 द्वारा समावेशित किया गया है। अतः माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नवीन प्रावधानों के आलोक में उक्त प्रस्ताव को निष्प्रयोज्य कर दिया गया है।"

ऐसी स्थिति में प्रथम परिनियमावली के अनुसार 30 जून, 2010 के बाद दिनांक 03.12.2013 को जारी परिनियम लागू होगा एवं 30 जून, 2010 के पहले कैरियर एडवान्समेण्ट स्कीम के शिक्षकों पर पूर्व का परिनियम लागू होगा।

47.		कार्यालय आदेश सं0 : सा0प्र0/4543/सा0प्र0 दिनांक : 21.03.2015 द्वारा प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा, आचार्य, गणित विभाग को अध्यक्ष– गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष पद पर तथा डॉ0 जनार्दन, आचार्य–हिन्दी विभाग को अध्यक्ष– हिन्दी विभाग के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होना एवं अनुमोदन करने पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् कार्यालय आदेश सं0 : सा0प्र0/4543/सा0प्र0 दिनांक : 21.03.2015 द्वारा प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा, आचार्य, गणित विभाग को अध्यक्ष– गणित एवं सांख्यिकी विभाग के अध्यक्ष पद पर तथा डॉ0 जनार्दन, आचार्य–हिन्दी विभाग को अध्यक्ष– हिन्दी विभाग के पद पर नियुक्त होने सम्बन्धी आदेश से अवगत होते हुए स्वीकृति प्रदान की।
48.		अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया–
	(क)	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2015 की संस्तुतियों पर पर विचार। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2015 की संस्तुतियों से अवगत होते हुए अनुमोदन प्रदान किया।
	(ख)	कार्य परिषद् डॉ0 सत्यनारायण त्रिपाठी, तत्कालीन परीक्षा समन्वयक, सम्प्रति आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के विरूद्ध अभियोजन दर्ज करने के सम्बन्धी पत्र सं0 9415/सा0प्र0/2010 दिनांक 24.12.2010 से अवगत हुई तथा अनुमोदन प्रदान किया।
	(ग)	कुलपति जी ने यह भी अवगत कराया कि प्रो0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा, आचार्य– प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति

		विभाग को रूसा (RUSA) का संयोजक बनाया गया है।
	(घ)	कार्य परिषद् के सदस्यों के अनुरोध पर सामान्य प्रशासन अनुभाग एवं कुलसचिव कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी अन्य कर्मचारियों की भाँति उनके मूल वेतन के बराबर अतिरिक्त कार्य करने के लिए मानदेय देने की सैद्धान्तिक स्वीकृति परिषद् ने प्रदान की।

बैठक के अन्त में मा0 कुलपति जी ने अवगत कराया कि इस वर्ष सी0पी0एम0टी0 की परीक्षा कराने का दायित्व दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है। इस परीक्षा के सफल आयोजन हेतु कार्य परिषद् के समस्त माननीय सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

कार्य परिषद् ने वर्तमान सदस्य प्रो0 प्रभाकर झा के असामयिक निधन पर दु:ख व्यक्त किया एवं दो मिनट का मौन रखा। साथ ही इस विश्वविद्यालय में कार्य परिषद् सदस्य के रूप में प्रदत्त उनके सहयोग व योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव

कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक : दीदउगोविवि / कमेटी / का0प0 / 2015 / 120 दिनांक : 22/7/15

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 29.05.2015 के बिन्दु संख्या– 1 में आंशिक संशोधन सम्बन्धी सूचना

कुलपति जी के आदेशानुसार कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 के बिन्दु संख्या : 1 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है–

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 29.05.2015 के बिन्दु संख्या– 1 में एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु जिन महाविद्यालयों में 8 मई, 2015 तक शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, **के स्थान पर** एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु जिन महाविद्यालयों में 10 मई, 2015 तक शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, **पढ़ा जाय।**

कुलसचिव
सचिव–कार्य परिषद्

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. प्रमुख सचिव, माननीय श्री राज्यपाल / कुलाधिपति महोदय, राज भवन, लखनऊ।
2. कार्य परिषद् के समस्त सदस्य
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियंत्रक
5. अधीक्षक– सम्बद्धता अनुभाग
6. सचिव–कुलपति को कुलपति जी एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद् के अवलोकनार्थ।
7. वै0 स0 कुलसचिव

कुलसचिव
सचिव–कार्य परिषद्

D Committee-15 Ex_Co_20515

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 29.05.2015 की कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	सदस्य
3.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
4.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
6.	डॉ0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
8.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
9.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव एवं कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक में सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य के अभाव में तथा परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 06.04.2015 में की गयी संस्तुति पर विचार किया गया।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने निर्णय लिया कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में मानकानुसार स्थायी प्राचार्य के अभाव में तथा लगातार तीन वर्षो में संस्थागत छात्रों का प्रस्तावित पाठ्यक्रम में 60 प्रतिशत से कम परीक्षाफल होने की स्थिति में मात्र एक वर्ष सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सम्बद्धता विस्तरण प्रदान कर दिया जाय। परन्तु यदि एक वर्ष के अन्दर स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति नहीं करते हैं और परीक्षाफल 60 प्रतिशत से कम होता है तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

साथ ही यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि नकल विहीन महाविद्यालयों के परीक्षाफल लगातार तीन वर्षो में 60 प्रतिशत से कम होने पर भी स्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाय।

ऐसे महाविद्यालय जो नकल में आरोपित हैं और यदि सत्र 2014–15 में भी आरोपित होते हैं तो ऐसे महाविद्यालयों की सम्पूर्ण सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार किया गया–

1. एन0सी0टी0ई0 के मानक के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु जिन महाविद्यालयों में 8 मई, 2015 तक शिक्षक अनुमोदित नहीं हैं, या अनुमोदित हैं परन्तु उनकी संख्या कम है, ऐसे महाविद्यालयों में शिक्षकों के अभाव के कारण सत्र 2015–16 में सीट आंवटित न की जाय। इन महाविद्यालयों का नाम कौन्सिलिंग हेतु तब तक न भेजा जाय, जब तक कि इनके यहाँ मानकानुसार शिक्षक नहीं हो जाते।

2. मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकायें परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 6 माह बाद या अगली परीक्षा प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व नियमानुसार बेंच दिया जाय। परन्तु ऐसी उत्तरपुस्तिकायें जो विवादित हों या किसी न्यायालय में प्रकरण लम्बित हो या आर0टी0आई0 के अन्तर्गत हो, उन उत्तरपुस्तिकाओं को तब तक सुरक्षित रखा जाय, जब तक मामले का निस्तारण न हो जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव   कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनाँक 09.07.2015 की कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0शुक्ला	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 ए0के0 सिंह	सदस्य
5.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
6.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
7.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
9.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
12.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
14.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
15.	प्रो0 लालजी त्रिपाठी	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 एच0एस0शुक्ल	विशेष आमंत्रित
17.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निवर्तमान सदस्य डॉ0 हरेश प्रताप सिंह, प्राचार्य, रतनसेन डिग्री कालेज, बॉसी, सिद्धार्थनगर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 अनिल कुमार सिंह, प्राचार्य, महाविद्यालय, भटौली बाजार, गोरखपुर; डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र, प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर; डॉ0 महेश्वर सिंह, उपाचार्य–कृषि विभाग, बी0आर0डी0पी0जी0 कालेज, देवरिया तथा डॉ0 यशवन्त सिंह, उपाचार्य– वनस्पति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

तत्पश्चात् बैठक में विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के सत्र 2015–2016 में शैक्षणिक कार्य संचालन के सम्बन्ध में विचार किया गया।

कार्य परिषद् ने सत्र 2015–2016 में शैक्षणिक कार्य संचालन के सम्बन्ध में कुलपति जी द्वारा समस्त संकायाध्यक्षों की गठित समिति की संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा की तथा निम्नवत् रूप में स्वीकार किया गया–

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक 26.07.2014 के बिन्दु संख्या– 40 में निर्णय लिया है कि जिस तरह

अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने की व्यवस्था उच्च शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या : 1864/सत्तर–2–2013–16(246)/2010 दिनांक 25.11.2013 एवं 272/सत्तर–2–2014–16(246)/2010 टी0सी0 दिनांक 25.04.2014 में की गयी है, उसी प्रकार वर्तमतान में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विश्वविद्यालय में भी शिक्षकों के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अधिनियम/परिनियम की व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुिए अध्यापन कार्य लिया जाय। उक्त व्यवस्था में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया–

1. राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालय/राजकीय/अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों के सहायक आचार्य/सहयुक्त आचार्य या आचार्य पद से सेवानिवृत्त अध्यापकों से 70 वर्ष की उम्र तक निश्चित मानदेय पर अध्यापन कार्य किया जाय।
2. विश्वविद्यालय के प्रत्येक शैक्षणिक विभाग में रिक्त पदों का विषयवार विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा कुलसचिव को उपलब्ध कराया जाय।
3. रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षकों के चयन हेतु सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष, विभाग के वरिष्ठतम् शिक्षक एवं अधिष्ठाता की एक समिति होगी, जिसके द्वारा चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
4. उपरोक्त बिन्दु 3 में उल्लिखित समिति द्वारा संस्तुत की गयी सूची का अनुमोदन कुलपति जी द्वारा किया जायेगा।
5. अनुमोदनोपरान्त शिक्षकों की सूची कुलसचिव द्वारा सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी जो उन शिक्षकों से आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य लेंगे।
6. मानदेय पर रखे जाने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को निम्नलिखित मानदेय देय होगा–

1.	सहायक आचार्य स्तर	रू0 400–00 प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम् रू0 20,000–00 प्रति माह।
2.	सहयुक्त आचार्य स्तर	रू0 500–00 प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम् रू0 22,000–00 प्रति माह।
3.	आचार्य स्तर	रू0 600–00 प्रति व्याख्यान की दर से अधिकतम् रू0 25,000–00 प्रति माह।

7. विश्वविद्यालय के शिक्षक सेवानिवृत्ति के बाद यदि विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं और वे विश्वविद्यालय आवास में रह रहे हैं तो उनसे कार्यरत अध्यापकों की तरह आवास किराया एवं विद्युत खर्च लिया जाय और उनके आवासों की मरम्मत भी सेवारत शिक्षकों की तरह अभियन्ता कार्यालय द्वारा कराया जायेगा। इस प्रकरण को आवास आवंटन समिति को सन्दर्भित किया गया।

8. बिन्दु संख्या 6 में निर्धारित की गयी मानदेय की धनराशि पेन्शन के अतिरिक्त होगी और इस मानदेय पर कोई मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

9. शिक्षकों के चयन के समय शिक्षकों की सेवा अभिलेखों के आधार पर मेरिट बनायी जाय तथा शिक्षण हेतु इनकी मानसिक/शारीरिक क्षमता का भी आंकलन किया जाय।

10. उक्तानुसार पूर्णतया अस्थायी मानदेय शिक्षक की व्यवस्था सम्बन्धित विषय के रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने अथवा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के 30 जून, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाय और अगले वर्ष हेतु पुनः नवीन चयन किया जाय।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव पर शासन को अवगत करा दिया जाय।

कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत शिक्षण, शोध आदि कार्यों में आ रही गुणात्मक कमी पर चिन्ता व्यक्त की तथा रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञापित पदों को भरने में आ रही समस्याओं को दूर करने हेतु शासन से अनुरोध करने का भी निर्णय लिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव | कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 14.08.2015 की कार्यवृत्त

समय : 12.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	सदस्य
3.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	सदस्य
4.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
5.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
6.	डॉ0 अनुराग द्विवेदी	सदस्य
7.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
8.	डॉ0 के0के0 यादव	सदस्य
9.	डॉ0 अनिल कुमार सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
11.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
12.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	सदस्य
14.	डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
15.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
16.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव

बैठक में श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, वित्त अधिकारी भी उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निवर्तमान सदस्य डॉ0 सुनीता मुर्मू, उपाचार्य–अंग्रेजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं डॉ0 रूसीराम महानन्दा, राजनीतिशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 श्रीमती शोभा गौड़, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

तत्पश्चात् दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बद्ध महाविद्यालयों में, एक से अधिक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षको के सम्बन्ध में मा0 कुलाधिपति के सचिव के पत्र संख्या : ई–7301 / 7–जी0एस0 / 2015–IV दिनांक 05.08.2015 एवं सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या 559 कैम्प / पीएसउ0शि0 / 2015 दिनांक 15 जुलाई, 2015 विचार किया गया।

बैठक में उपर्युक्त पत्रों पर विचार करते हुए सभी सदस्यों ने सम्बद्ध स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों के एक से अधिक महाविद्यालयों में कार्यरत होने के प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन एवं शासन को अवगत कराकर ऐसे शिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही की सराहना की, जिससे परिणामतः बहुत सारे शिक्षकों ने इसे संज्ञान में लिया और अतिरिक्त महाविद्यालय/महाविद्यालयों के शिक्षक पद से त्याग पत्र दे दिया। इस तरह सूची प्रकाशित करने की कार्यवाही पूर्ण हो गयी। अतः यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडेड इस सूची को अस्थायी तौर पर हटा दिया जाय।

स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन एवं उसके अनुमोदन की प्रक्रिया पर सम्यक् विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया तैयार करने के सम्बन्ध में परिनियम निर्मित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कुलपति जी को अधिकृत किया जाय।

2. स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में शिक्षक चयन हेतु यदि कोई अध्यापक एक से अधिक महाविद्यालय में कार्यरत रहते हुए दूसरे मिहाविद्यालय में आवेदन करना चाहता है, तो वह कार्यरत महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही आवेदन करे। यदि किसी अध्यापक के आवेदन पत्र के साथ कार्यरत महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न हो, तो उसका चयन न किया जाय।

3. जिन शिक्षकों का चयन स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत होता है, उनके नियुक्ति एवं अनुबन्ध पत्रों में वेतन का विवरण अवश्य दर्शाया जाय। उनके फोटो सहित पूरा विवरण महाविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

4. अभ्यर्थी द्वारा दिये जाने वाले शपथ–पत्र में उसकी यह स्वीकारोक्ति भी अवश्य हो कि वह किसी महाविद्यालय में नियुक्त नहीं है और यदि अन्यत्र नियुक्त होने की सूचना प्राप्त हो तो उसकी सभी नियुक्तियाँ निरस्त कर दी जायं।

5. स्ववित्त पोषित महाविद्यालय अपने सभी पाठ्यक्रमों का फीस ढाँचा तैयार करके महाविद्यालय की विवरणिका में अवश्य दर्शायें और उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध करायें।

6. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण–मण्डल भेज कर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों का भौतिक सत्यापन कराया जाय।

7. सभी स्ववित्तपोषित महाविद्यालय प्रत्येक वर्ष पूरे वर्ष का लेखा–जोखा (आडिट रिपोर्ट) विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें एवं इसे महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड करें।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

कुलसचिव　　　　　　　　　　　　कुलपति

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 01.12.2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	सदस्य
3.	प्रो0 डी0एन0 यादव	सदस्य
4.	डॉ0(श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
6.	डॉ0 यशवन्त सिंह	सदस्य
7.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
8.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	सदस्य
10.	डॉ0 विश्व दीपक	सदस्य
11.	डॉ0 महेश्वर सिंह	सदस्य
12.	कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री जनार्दन प्रसाद राय भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य प्रो0 पी0सी0शुक्ल, अधिष्ठाता– वाणिज्य संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 अनुराग द्विवेदी, प्रवक्ता–समाजशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 के0के0 यादव, प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर, डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र, समाजशास्त्र विभाग, सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर एवं प्रो0 यू0पी0 सिंह, प्रतिनिधि– महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य अधिष्ठता– औषधि संकाय, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय/प्राचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्रवक्ता– प्राचीन इतिहास विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 विश्व दीपक, प्रवक्ता– प्राणिविज्ञान विभाग, डी0ए0बी0 पी0जी0 कालेज, गोरखपुर तथा प्रो0 यू0पी0 सिंह, प्रतिनिधि– महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की। तत्पश्चात् बैठक में वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.11.2015 की संस्तुतियों पर विचार किया गया –

सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.11.2015 की संस्तुतियों को स्वीकार किया गया।

कुलसचिव
सचिव

कुलपति
अध्यक्ष

F\Ex_Cu_11215